न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण,श्रीगंगानगर। (राजस्थान)

———————————————————————————

पीठासीन अधिकारीः— अनु चौधरी ,आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)
सैशन प्रकरण संख्या 27 / 2014

स्टेट ऑफ राजस्थान

बनाम्

रमेशदान आदि

उपस्थित—

1. विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।
2. श्री श्रीराम एवं श्री ओमसिंह—अधिवक्तागण—अभियुक्तगण की ओर से

दिनांक : 08.08.2024

आदेश

01— हस्तगत आदेश द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 08.08.2024 का निस्तारण किया जा रहा है।

02— विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में ट्रैपकर्ता अधिकारी द्वारा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त लेनदेन की वार्ता के दौरान फर्द ट्रांस्क्रिप्शन व सीडी तैयार की थी, जिस बाबत धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश किया जा रहा है, जिसे शामिल पत्रावली किया जावे।

03— विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण को उक्त प्रार्थना पत्र की नकल दिलवाई गई, जिन्होंने जवाब पेश ना कर सीधे बहस करना चाहा।

04— बहस उभय पक्ष सुनी गयी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

05— विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि पत्रावली पर सहवन से धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र पेश करने से रह गया था, जिसे अब पत्रावली में शामिल करने का निवेदन किया।

06— विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण दिनांक 04.11.2010 का है व प्रकरण में चार्जशीट दिनांक 22.12.2011 को पेश की गयी थी व लगभग 12 वर्षों की देरी से विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से प्रार्थना पेश किया गया है, जो कि प्रकरण में रह गई कमियों की पूर्ति करने हेतु पेश किया गया है। अतः निवेदन है कि विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

07— उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। वर्तमान में पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रमाण पत्र धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत दलीप जाखड़, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ हाल सेवानिवृत्त द्वारा पेश किया गया है, जिनको अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहान सूची में क्रम संख्या—12 पर नियोजित किया गया है तथा उक्त गवाह की साक्ष्य होना भी अभी शेष है। पत्रावली पर फर्द ट्रांस्क्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन तथा फर्द बरामदगी रिश्वत सूची अभिलेख में अंकित है जो पत्रावली में उपलब्ध है, जिनको प्रमाणित करने हेतु धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। केवलमात्र धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र चार्जशीट के साथ पेश नहीं किये जाने से धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र व प्रकरण के निस्तारण में महत्वता किसी प्रकार से कम नहीं होती, यहां विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जाहिर नहीं किया गया है कि उक्त प्रमाण पत्र देरी से पेश करने से अभियुक्तगण किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र विचारण के दौरान न्यायालय की अनुमति से किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

08— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरनत्याल एवं अन्य सिविल अपील नम्बर 2407 ऑफ 2018 और सिविल अपील नम्बर 3696 ऑफ 2018 में यह माना है कि डिजिटल साक्ष्य से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र न्यायालय में विचारण के दौरान किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

09— अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न धारा 65—बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाकर पत्रावली में शामिल करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(अनु चौधरी)

10— आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनु चौधरी)